कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-29.06.2024

विषय:- थाना कैण्ट क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग लड़की की हत्या कर शव को पानी की टंकी में फेंक देने की घटना का सफल अनावरण, थाना कैण्ट व क्राइम ब्रांच कमिश्नरेट वाराणसी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा शातिर अभियुक्त आशीष उर्फ गोलू गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी के अपराधों की रोकथाम, चोरी/लूट/हत्या की घटनाओ के सफल अनावरण एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के पर्यवेक्षण मे एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त कैण्ट के नेतृत्व में थाना कैण्ट व कमिश्नरेट वाराणसी की क्राइम ब्रांच की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा इलेक्ट्रानिक साक्ष्य व मुखबिर की सहायता से मु0अ0सं0 0246/24 धारा 363/302/201 भा.द.वि. व बढ़ोत्तरी धारा 376(A) भा.द.वि. व 5/6 पॉक्सो एक्ट थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी से संबंधित वांछित अभियुक्त आशीष उर्फ गोलू पुत्र राम जी निवासी एस-18/55 राजाबाजार नदेसर थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी को आज दिनांक-29/06/2024 को समय 13.10 बजे पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय वाराणसी से गिरफ्तार किया गया। उक्त के सम्बन्ध में थाना कैण्ट पुलिस द्वारा अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

उक्त सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम को श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन महोदय द्वारा 25000/- रु0 इनाम की घोषणा की गयी।

घटना का विवरण- दिनांक 27.06.202 को वादिनी अनीता देवी पत्नी हीरालाल निवासिनी S-18/55 राजाबाजार, नदेसर थाना कैण्ट जनपद वाराणसी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनकी 13 वर्षीया पुत्री दिनांक-26.06.24 को घर सें कही चली गयी है जिसके सम्बन्ध में थाना कैण्ट में मु0अ0सं0-246/24 धारा 363 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया। दिनांक 28.06.2024 को वादिनी की पुत्री का शव पानी की टंकी में बरामद होने व अभियुक्त की गिरफ्तारी व बयान के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 302/201 भा.द.वि. व बढ़ोत्तरी धारा 376(A) भा.द.वि. व 5/6 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी, जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक अजय राज वर्मा थाना कैण्ट वाराणसी द्वारा सम्पादित की जा रही है।

विवरण पूछताछ – अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मृतका मेरे मोहल्ले में ही रहती थी जिससे मेरी अक्सर बात-चीत हुआ करती थी। दिनांक 26.06.2024 को शाम को भी मेरी उससे बात हो रही थी तभी मैं उसे बहला-फुसला कर अपने साथ चलने को कहा तो वह घर पे बताने चली गई व कुछ देर बाद बाहर आयी और ए-ब्लाक की ओर चली गई जिसकी छत पर मैने उसे मिलने को कहा था। पीछे-पीछे मैं भी गया छत पर पहुँचकर मैने उससे जोर

जबरदस्ती शुरु की और उसके विरोध करने के बावजूद उसके साथ गलत काम किया जिसके बाद वह बेहोश हो गई उसकी सांसे नहीं चल रही थी जिससे मैं काफी डर गया और सामने रखी पानी की टंकी मे उसकी लाश को छुपाने की नियत से डालकर नीचे भाग आया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

आशीष उर्फ गोलू पुत्र राम जी निवासी एस-18/55 राजाबाजार नदेसर थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी उम्र करीब 31 वर्ष।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

थाना कैण्ट पुलिस टीम	क्राइम ब्रान्च पुलिस टीम (SOG)
1. प्रभारी निरीक्षक अजय राज वर्मा 2. उ0नि0 आयुष पाण्डेय 3. हे0का0 बृजबिहारी ओझा 4. हे0का0चा0 सुरेन्द्र प्रसाद 5. का0 सचिन मिश्रा 6. का0 राजन कुमार राव 7. का0 बृजेश यादव	1. उ0नि0 मनीष मिश्र प्रभारी SOG 2. हे0का0 प्रमोद सिंह 3. हे0का0 चंद्रभान यादव 4. का0 रमाशंकर यादव 5. का0 अलोक मौर्या 6. का0 मयंक त्रिपाठी 7. का0 दिनेश कुमार 8. का0 मनीष बघेल 9. का0 अंकित मिश्र 10.का प्रेम पटेल

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी